

कार्यालय कलेक्टर, जिला - बालोद (छ.ग.)

फैक्स-07749-223970 फोन नं.-07749-223999 Email-Balod.cg@gov.in

-:: आदेश ::-

क्रमांक/4352/वि.लि-1/स्था./2019

बालोद दिनांक: 7-05-2019


छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों के अधीन श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसार कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2019/1723 रायपुर दिनांक 08.03.2019 द्वारा जिले में आकस्मिक वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन की परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना की जाकर दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 अवधि के लिए लागू मानी जावेगी। निम्नानुसार दैनिक एवं मासिक वेतन निर्धारित किया जाता है :-

- (1) अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है इसलिये वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की पात्रता नहीं है।
- (2) यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, किन्तु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जावेगा।
- (3) जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।
- (4) जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर से 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना किया जावेगा।
- (5) यदि किसी संवर्ग में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जावेगा।
- (6) यह दरें संपूर्ण जिले के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए लागू मानी जावेगी। ये दरें 01.04.2019 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए लागू मानी जायेगी।

कलेक्टर
जिला बालोद.

क्र.	पद श्रेणी	01.04.2019 से 30.09.201	
		अनुसूची 'ग' शासकीय विभाग के लिए 30 दिनों के अनुसूचक	दैनिक
1	2	3	
1	<p>अकुशल श्रमिक :- वाटरमैन, वाटरमैन कम माली, चौकीदार कम फर्शा, चौकीदार कम माली, घोषी खलारी, डाक रनर, हेडमाली, रसोइया (शाकाहारी/मांसाहारी) वार्ड ब्याय, आया, ड्रेसर, स्वीपर, अस्पताल सर्वेंट (महाविद्यालय छात्रावास), मोटर तथा इंजन क्लिनर, कर्मशाला मजदूर, वर्कशॉप फार्मसी, मेट, क्लेनरी, मैनेजर पैकेट, मत्स्य विभाग, फिल्ट वर्कर सभी प्रकार के सभी विभागों के लिए फर्शा, वेल्डर, वेण्डर, ऑटो चालक, पंप परिचालक, प्लायर, चरवाहा, फिशर मैन, वन विभाग भृत्य, चैनमैन, सभी विभागों के लिए स्वेच्छिक (पी.टी.एस लश्कर) (भूतपूर्व सैनिक) (स्टोर मैन) एस.सी चर्मकार (ऑजार के साथ) (सी.सी. के लिए), अटेंडेंट (चार घंटे कार्य पशु शल्य) खसदटी मजदूर/पानी पिलाने वाला, पोल्ट्री (क्वैलीनेटर), (पशु चिकित्सा विभाग के लिए), पार्ट टाइम स्वीपर (अंशकालीन जहां शासन के पद स्वीकृत हैं तथा कार्य दो घण्टे या कम हो), स्वेच्छिक पी.टी.एस अंशकालीन 4 घण्टे कार्य शासकीय औषधालय में कार्यरत, पानी भरने वाला मजदूर.</p>	8400.00	280.00 (280)
2	<p>अर्द्धकुशल श्रमिक :- क्लॉथ वाशिंग सफेदी वाला, टाईलटर्नस, प्रेसर मोहरीर, सहायक मिस्त्री, लाईन मैन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक ऑपरेंटर, सहायक ग्राइंडर, सहायक पेंटर, सहायक टिकर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक मेकर सहायक वायरलेश, सहायक टायर, प्रिंटर चालक (स्कूटर ऑटो आदि हल्के वाहन) परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, बालपेन, फायर मैन, लिपिक, पंप अटेंडेंट, व्हीलर केशियर, खानसामा सर्किट हाउस, मुख्य रसोइया, इंजन ड्रायव्वर, सुपर वाइजर, फिल्ट वर्कर, वाइटिंग क्लियरिंग मेसरी, मशीन मैन, मशीन अटेंडेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क सहायक ऑपरेंटर, मुंशी, बुक लिपटर (लाईब्रेरी) (मेकर पट्टी मेकर नमुना सहायक) उपसंचालक खाद्य एवं प्रसाधन के लिए, मशीनमैन, प्रिंटिंग प्रेस/ट्रेक्टर क्लीनर, कुशल एवं अर्धकुशल मजदूर वन विभाग तथा खनिकर्म विभाग, मिस्त्री का सहायक, द्यूबवेल कर्मशाला, मजदूर, अकुशल (पंचवन) चौकीदार स्वर्णधातु सर्वेक्षण हेतु मजदूर (सोनाखान के लिए), रिक्शा चालक.</p>	9050.00	301.67 (302)
3	<p>कुशल श्रमिक :- खानसामा (प्रशिक्षित), डीलिंग मशीन आपरेटर, मेल्स वायरलेस, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई पास या छ म अनुज्ञापन मंडल से लायसंसधारी) केबिनेट मेकर, जार्चमैन, केशियर, गोडाउन कीपर, फीटर, सुपरवाइजर, (मलेरिया) ब्रायलर अटेंडेंट, टर्नर डीलर, ग्राउंडर, मेकेनिक, आईजकीपर, प्रेसरमैन, राईजमिस्त्री, डीजल मिस्त्री, लिओ ओपरसेट, कैमरा आपरेटर गोताखोर पानी वाला मिस्त्री, काम्पोजिटर, ऑपरेंटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री (बिजली), सीनियर गार्ड, फायरमैन, मुख्यलिपिक, पटवारी, ट्रेसर, सीनियर गार्ड, फायर मैन, मुख्य लिपिक, पटवारी ट्रेसर, स्टोर कीपर, कारपेंटर, बिजली मिस्त्री, मुनीम, लेखापाल, लिपिक उद्योगों में कार्यरत हेण्डपंप मेकेनिक, सर्वेयर (डिप्लोमा प्राप्त), दर्जी मशीन के साथ अस्पताल एवं एन.सी.सी. (पी.टी.डील) शिक्षक, ऑपरेंटर, एवं प्लांट अटेंडेंट मेकर, प्रोजेक्टर आपरेटर, फोटोकॉपी आपरेटर, कृषि महाविद्यालय प्रयोगशाला सहायक (उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण भौतिक रसायन गणित विषयों के साथ), ड्रायवर (जिसका उल्लेख न हो), ट्रेक्टर ड्रायवर मददगार (भौतिक तथा खनिकर्म विभाग के लिए), हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखन) हामर सेकेंडरी, हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण, लेखापाल (प्रशिक्षित), कनिष्ठ सहायक, उत्पादक, सहायक (स्टेनोग्राफिस्ट) स्टेनोग्राफी का ज्ञान हो, टेलीफोन आपरेटर, मीटर रीडर, द्यूबवेल मिस्त्री, लेब टेक्निशियन कुशल, काम्पोजिटर/प्रिंटिंग प्रेस कुक्कुट परियोजना एवं शीतगृह परिचालक, नारी निकेतन के लिए फील्ड वर्ग पंचवन (वन पाल समक्ष आर्टिस्ट, शिक्षित मजदूर लिपिक या अन्य लिपिक), (मुद्रलेखन) सेमी फिल्ट वर्कर लाइनमैन वेल्डर ब्लेकस्मिथ लोहार, ट्रेक्टर क्लीनर (कुशल) कर्मशाला मजदूर कुशल समयपाल</p>	9830.00	327.67 (328)
4	<p>उच्च कुशल श्रमिक :- उपयंत्री (बिजली), इंजीनियरिंग रनातक, एम.टेक.एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक (उपयंत्री) स्टेटवेयर कार्पोरेशन के लिए शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण, यंत्र सुधाकर, कम्प्यूटर आपरेटर, भारी वाहन चालक</p>	10610.00	353.67 (354)

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. महालेखकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
8. समस्त कलेक्टर.....छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
10. अपर कलेक्टर बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुखजिला बालोद को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. जिला सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी (एन.आई.सी.) बालोद को सूचनार्थ। कृपया जिला बालोद के वेबसाइट (Balod.gov.in) में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।
14. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डी लोहारा को सूचनार्थ।
15. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, को सूचनार्थ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला बालोद को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
17. श्रम पदाधिकारी, जिला बालोद को सूचनार्थ।
18. तहसीलदार, बालोद/गुरुर/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/डौण्डी को सूचनार्थ।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद/गुरुर/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/डौण्डी को सूचनार्थ।
20. उप कोषालय अधिकारी दल्लीराजहरा को सूचनार्थ।
21. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बालोद को सूचनार्थ।
22. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालोद/दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/गुरुर/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ।
23. जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति विभाग (स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन) बालोद को सूचनार्थ।
24. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बालोद को सूचनार्थ। आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें, एवं निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।


कलेक्टर,

जिला बालोद,